


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
28.01.2020	<p>यह दावा वादी सिकाराम की ओर से अधिवक्ता श्री मेघाराम गोदारा ने पेश किया। जो सरिश्ते से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। दावा दर्ज रजिस्टर हो। वकील वादी ने निवेदन किया कि मेरे सभी दस्तावेजात में मेरा नाम सिकाराम पुत्र रेवन्तराम अंकित है जबकि वाके रोही पांचू उत्तरी के खेत खसरा नम्बर 2667 रकबा 3.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2668 रकबा 6.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2669 रकबा 1.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 466 रकबा 6.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7507/455 रकबा 1.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7509/456 रकबा 3.90 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 23.40 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामप्रताप पुत्र रेवन्तराम नाम अंकित है। जिसे दुरुस्त फरमाया जावे। पैरोकार राज ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं हो रहा है।</p> <p>हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस के कथानो पर मनन किया, जिससे पाया गया कि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना न्यायहित में सही है। अतः नाम शुद्ध किये जाने के हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत आदेश दिये जाते हैं कि वाके रोही पांचू उत्तरी के खेत खसरा नम्बर 2667 रकबा 3.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2668 रकबा 6.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2669 रकबा 1.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 466 रकबा 6.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7507/455 रकबा 1.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7509/456 रकबा 3.90 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 23.40 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामप्रताप पुत्र रेवन्तराम के स्थान पर सिकाराम पुत्र रेवन्तराम दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार नोखा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलाश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (रमेश देव) उपखण्ड अधिकारी नोखा (बीकानेर) </p>	

